

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा
शिविर स्थल ग्राम पंचायत : 6 एपीडी, दिनांक : 25.06.2025
फार्म नं.- III

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर
भागवंती देवी बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर 83 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी : 2025 / 148.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
25.06.2025	<p>प्रार्थी भागवंती देवी पुत्री कृष्णलाल के द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा के अन्तर्गत शिविर ग्राम पंचायत 6 एपीडी में आवेदन पेश कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम भानी देवी दर्ज है को दुरुस्त कर भागवंती देवी दर्ज करने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार श्रीविजयनगर को जांच हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में भानी देवी के स्थान पर भागवंती देवी दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार, भू. अ.नि. व पटवारी तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि एवं शिविर में तैयार किये गये फर्द मौका, प्रशासक ग्राम पंचायत 6 एपीडी के द्वारा जारी प्रमाण एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड चक 2 एपीडी बी खाता सं. 6 में संयुक्त खाता में दर्ज मु.नं. 23 प.नं. 225/384 की कुल 1.581 है. कमाण्ड भूमि के काश्तकार के नाम भानीदेवी पुत्री कृष्णलाल को दुरुस्त करते हुए के स्थान पर भागवंती देवी पुत्री कृष्णलाल दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो।</p> <p>निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



शकुन्तला

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

